कार्यालय मार्किट कमेटी अम्बाला शहर

नीलामी सुचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि नई अनाज मंडी अम्बाला शहर में आने वाली सभी प्रकार की कृषि उपज जैसे गेहूं, जीरी एवं सूरजमुखी इत्यादि में से निकलने वाले झार/कबाड़े को उठाने का कार्य ठेके पर देने के लिए **खुली बोली दिनांक 10.08.2023 को 03:00PM** कार्यालय मार्किट कमेटी अम्बाला शहर में की जाएगी। ठेके की अवधि 01.08.2023 **से 31.07.2024** तक की होगी।

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार से हैं :-

1. कोई भी व्यस्क व्यक्ति/फर्म बोली में भाग ले सकता है बोलीदाता के पास वैध पैन नंबर होना चहिये। इच्छुक व्यक्ति/फर्म किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा ब्लेक लिस्टिड नही होना चाहिए। इस बारे सफल बोलीदाता को शपथ पत्र देना होगा।
2. इच्छुक बोलीदाताओं बोली में भाग लेने से पहले रुपये 1,00,000/- का डिमांड ड्राफ्ट मार्किट कमेटी अम्बाला शहर के पक्ष में देय हो, कार्यालय में जमा करवाना होगा जोकि दिनांक 10.08.2023 को 12:00PM तक जमा करवाना होगा। बोली के बाद असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि वापिस कर दी जाएगी।
3. सफल बोलीदाता की 1,00,000/- राशि बतौर सिक्योरिटी कार्यालय मार्किट कमेटी में जमा कर ली जाएगी जो ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी।
4. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि का 25 प्रतिशत भाग तुरंत जमा करवाना होगा तथा शेष राशि यानि 75 प्रतिशत एक मास के अंदर-अन्दर जमा करवानी होगी और उसका चैक एक महीने की तिथि डालकर मोके पर ही जमा करवाना होगा अन्यथा सिक्योरिटी तथा 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा एक मास से अधिक समय होने पर बकाया राशि 15% ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। आवश्यकतानुसार Land Revenue Arrear द्वारा वसूली भी की जा सकती है।
5. यदि सफल बोलीदाता मौके पर 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो उसका ठेका रदद् कर दिया जायेगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे ब्लेक लिस्ट भी कर दिया जाएगा।
6. मंडी में से कबाड़ा प्रतिदिन उठाना होगा। मंडी क्षेत्र में कबाड़ इक्कठा करनें की अनुमति नहीं दी जाएगी। कबाड़ प्रतिदिन न उठाने के अवस्था में मार्किट कमेटी किसी अन्य स्त्रोत से कबाड़ा उठ्वाएगी जिसके नुकसान का जिम्मेदार ठेकेदार होगा तथा प्रतिदिन के कार्य में जान, माल के नुकसान का बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर या शर्तों का पालन न करने पर प्रतिदिन 5000/- रूपये जुर्माना लगाया जायेगा या ठेका भी रद्द किया जा सकता है।
8. कबाड़ उठाने के लिए ट्रेक्टर ट्रोली, झोटा-बुग्गी, झाड़ू कस्सी, लेबर इत्यादि का प्रबंध ठेकेदार का होगा।
9. कबाड़ मंडी क्षेत्र से बाहर ढेर करना होगा जिसके के लिए स्थान का प्रबंध ठेकेदार का अपना होगा।
10. कमेटी के पास बिना बताये बोली मंजूर/नामंजूर करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. विस्तृत जानकारी के लिए सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी, मार्किट कमेटी, अम्बाला शहर से किसी भी कार्य दिवस को सम्पर्क करें।
12. सेल टैक्स /इनकम टैक्स/GST/ अन्य प्रकार का टैक्स यदि देय होगा तो ठेकेदार को देना होगा।
13. बोली की विस्तृत शर्तें मौके पर सुनाई जाएँगी।

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी,
मार्किट कमेटी, अम्बाला शहर।

प्रशासक
मार्किट कमेटी, अम्बाला शहर।